2023/230

PV
T.DR रद्द के P.D
हेतु आदेश, जारी
[illegible]
ग्राम - कास्या

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
53-188 दावा	~~48/23~~ 43/23 43/23	16/8/23	फैसला 7/3/25 D पा मन प्राप्त निर्णीत 3/3/25	23/7/24 20/8/24 10/9/24 24/9/24 15/10/24 7/11/24 19/11/24 26/11/24 24/12/24 5/2/25 11.2.25 20/2/25

अनवान

श्रीमती हरकू w/o रूपा मीना ..... श्रीमती कली w/o उदा मीणा

निवासी कास्यां ..... निवासी कास्यां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट ..... अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार ..... मदयून

श्री सुशील कु० जोशी ..... श्री Ex - Parte

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

हरकु बनाम काली

किस्म मुकदमा 53-188 नम्बर 43 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/8/2023	वादपत्र पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 12/09/2023 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
2/9/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/10/23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
7/10/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/11/23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/11/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/1/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6/2/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
6/2/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक वादी उपस्थित। पत्रावली में तामील अप्राप्त। पत्रावली में वास्ते पुनः सम्मन जारी हो। पत्रावली में आगामी दिनांक 27/2/24 को पेश हो।	

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

त अदालत SDO मुकाम बिजौलिया

हरलु बनाम काली

स्म मुकदमा S3-188 नं. 43/23 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/8/24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया से PD पत्रावली अप्राप्त। पत्रावली आगामी दिनांक 10/9/24 को पेश हो। (initials)	
10/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 24/9/24 को वास्ते इ. PD पेश हो। (T.R.) उपखण्ड अधिकारी	
24/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 15/10/24 को वास्ते इ. PD पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
15/10/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते इ. रिपोर्ट आगामी दिनांक 7/11/24 को पेश हो। (initials)	
7/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते इ. रिपोर्ट PD आगामी दिनांक 19/11/24 को पेश हो। (initials)	
19/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते इ. रिपोर्ट PD आगामी दिनांक 26/11/24 को पेश हो। (initials)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ना दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 24/12/24 को वास्ते E.R. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ना दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 5/2/25 को वास्ते E.R. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5-2-25	पत्रावली [illegible] क वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 11-2-25 को वास्ते उ-आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/2/25 (बहस)	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलिया के बँटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया पत्रावली वास्ते FD (अन्तिम डिक्री) आगामी दिनांक 20/02/25 को पेश हो।	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते AOF आगामी दिनांक 03/03/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
03/03/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में AOF पृथक से लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

वादपत्र संख्या 43/2023 दायर तारीख 16/08/2023

अनवान

01 हरकु पत्नि रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 हीरा पुत्र रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.......वादीगण

बनाम

01. काली पत्नि उदा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गंगा पत्नि गोपाल जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गौर्धन पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. दीपक पिता उदा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. नौला पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. बदाम पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सुनील पिता रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. कैलाश पिता रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. कमली पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. पुजा पिता रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. कमलेश पिता गोपाल संरक्षक माता गंगा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. विष्णु पिता गोपाल संरक्षक माता गंगा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उपस्थित :– – श्री सुनील कुमार जोशी – अधिवक्ता वादीगणगण
–एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/03/2025

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बाद नियमित सुनवाई दिनांक 07/08/2024 को **प्राथमिक डिक्री** इस आशय की जारी हुयी कि **ग्राम कांस्या** पटवार हल्का **कास्या कलां भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां** कलां **के खाता संख्या 16 में अंकित खसरा नम्बर 396/1 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर किस्म बंजड़ नहरी , खसरे 01 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक वादी का हिस्सा 1/16 कुल 1/8 हिस्सा वादीगण का पूथक से** विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जावें। तहसीलदार बिजौलियां को प्राथमिक डिकी की पालना हेतु दिनांक 07.08.24 को तहरीर जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1889 दिनांक 28.11.2024 से प्राथमिक डिकी की पालना ,मौका पर्चा , नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि बॅटवाड़ा पश्चात् एक–दूसरे के खसरे में दखल अंदाजी नहीं करेगें एवं वादीगण–प्रतिवादीगण शांति से अपने–अपने खसरे में कृषि कार्य करेंगे।

क्र. स	खातेदार का नाम	ग्राम एवं लगान रूपयों में	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	01. हरकू पत्नि रूपा मीणा हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार 02. हीरा पुत्र रूपा मीणा हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार	कांस्या लगान 0.44 रूपये	396/1 क	0.0546
	योग		**खसरा 01**	**0.0546**
02	01. काली पत्नि उदा हिस्सा 2/21 जाति मीणा सा.देह खातेदार 02. दीपक पुत्र उदा हिस्सा 2/21 जाति मीणा सा.देह खातेदार 03. पूजा पुत्री उदा हिस्सा 2/21 जाति मीणा सा.देह खातेदार 04. गौर्धन पुत्र चतरा हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार 05. नौला पुत्र चतरा हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार 06. वदाम पुत्री चतरा हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार 07. कमली पुत्री चतरा हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार 08. सुनिल पुत्र रूपा हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार 09. कैलाश पुत्र रूपा हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार 10. गंगा पत्नि गोपाल हिस्सा 2/21 जाति मीणा सा.देह खातेदार 11. नावालिक कमलेश पुत्र गोपाल संरक्षक माता गंगा हिस्सा 2/21 जाति मीणा सा.देह खातेदार 12. नावालिक विष्णु पुत्र गोपाल संरक्षक माता गंगा हिस्सा 2/21 जाति मीणा सा.देह खातेदार	कांस्या लगान 2.97 रूपयें	**396/1 ख**	0.3825
	योग		**खसर 01**	0.3825

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिव हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ **(RAS)**

वादपत्र संख्या 43 / 2023 दायर तारीख 16 / 08 / 2023

अनवान

1. हरकु पत्नि रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. हीरा पुत्र रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........डिकीदार

बनाम

1. काली पत्नि उदा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गंगा पत्नि गोपाल जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गौर्धन पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. दीपक पिता उदा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. नौला पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. बदाम पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. सुनील पिता रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. कैलाश पिता रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. कमली पिता चतरा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. पुजा पिता रूपा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. कमलेश पिता गोपाल संरक्षक माता गंगा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. विष्णु पिता गोपाल संरक्षक माता गंगा जाति मीणा निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

..........मदयून

उपस्थित :– – श्री सुनील कुमार जोशी – अधिवक्ता डिकीदार
–एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता मदयून

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्त. अधिनियम

निर्णय दिनांक : 03 / 03 / 2025

डिक्री दिनांक : 03 / 03 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री सुनिल कुमार जोशी. को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि बॅटवाड़ा पश्चात् एक–दूसरे के खसरे में दखल अंदाजी नहीं करेगें एवं वादीगण–प्रतिवादीगण शांति से अपने–अपने खसरे में कृषि कार्य करेंगे। डिक्री मूर्तिब की गई।खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
य अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
य वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
य वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
ताना वकील ( )	–		मेहनताना वकील ( )	–	
र्ा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
न कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
त् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
फरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां